न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— ओम कसेरा , **I.A.S.**

प्रकरण संख्या 63 / 2016 (अपील)

प्रभूलाल (मृतक) जरिये कायम मुकामान

1. शम्भूदयाल पुत्र स्व0 प्रभूलाल, जाति माली, निवासी रायपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 प्रभूलाल, जाति माली, निवासी रायपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. राकेश पुत्र स्व0 प्रभूलाल, जाति माली, निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. लाडबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल, जाति श्री राजेन्द्र, जाति माली, निवासी सकतपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. सुनीता बाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल, पत्नि कालूलाल, जाति माली निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामगंजमण्डी जिला कोटा
6. घींसीबाई बेवा स्व0 प्रभूलाल जाति माली निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलांट

बनाम

1. मुज्जमिल पुत्र हाजी मोहम्मद यामीन, जाति मुसलमान निवासी ग्रामीण पुलिस लाईन रोड बोरखेडा कोटा
2. सुरेश बाई पुत्री करणा उर्फ रामकरण, पत्नि देवलाल जाति माली, निवासी वार्ड नं0 11 शमशान घाट की गली रायपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. चमेलीबाई पुत्री करणा उर्फें रामकरण जाति माली, निवासी टोडी मोहल्ला मालियों के मंदिर के पास कैथून तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामान्तकरण संख्या 240 आदेश दिनांक 26.10.2015 ग्राम कंसुआ तह0 लाडपुरा

उपस्थित

1. श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक— 17.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम कंसुआ तहसील लाडपुरा के नामा0 सं0 240 दिनांक 26.10.2015 में आदेश कि "मुताबिक रेकार्ड, रिपोर्ट पटवारी हल्का, जांच आई. एल. आर. एवं संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2009 अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत । " बाबत आदेश पारित किया गया ।

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26.04.2016 को पेश कर कथन किया है कि निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्दि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सूचना दिये बिना ही गुपचुप तरीके से वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 240 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है । इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2009 पूर्ण रूप से अवैध एवं प्रभावशून्य है, जिससे रेस्पो0 1 को किसी प्रकार का कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि में नहीं बनता है । ऐसी अवस्था में उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया नामान्तकरण पूर्णरूप से अवैध है तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है । इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम कंसुआ तहसील लाडपुरा स्थित खसरा नम्बर 166 रकबा 0.36 हे0 भूमि से रेस्पोडेन्टान का कोई सम्बन्ध नहीं है, त्रुटिपूर्ण तरीके से राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है, वास्तव में वादग्रस्त भूमि पन्ना जी के खाते की भूमि थी जो उनके सवर्गवास के पश्चात उनके पुत्र आनन्दीलाल को प्राप्त हुई, आन्दीलाल जी के दौ पुत्र जिनमें एक अपीलान्ट के पिता प्रभूलाल जी तथा दूसरे पुत्र करणा उर्फ रामकरण जी थे, तथा रामकरण जी को आनन्दीलाल जी ने पांथीबाई पत्नि भंवरलाल निवासी देवली ढिकोली को गोद दे दिया था और उस समय रामकरण जी की मात्र 5 वर्ष की आयु थी तथा पांथीबाई के स्वर्गवास के पश्चात उनकी सम्पत्ति का मालिक बहैसियत गोदपुत्र रामकरण बना । इस प्रकार आनन्दीलाल जी के परिवार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा तथा वादग्रस्त भूमि में उनका कोई स्वत्व नहीं रहा, किन्तु राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करके रामकरण ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया और उसके स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ने अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाते हुये वादग्रस्त भूमि 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को विक्रय करदी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है ।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि स्वगीय प्रभूलाल जी ने अपने जीवनकाम में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में धारा 88,89 व 188 रा0टी0एक्ट के अन्तर्गत दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करके रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 15.11.09 को रेस्पोडेन्टान के विरूद्व भूमि को विक्रय नहीं करने व राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करने बाबत आदेश पारित किया एवं तत्पश्चात दौनों पक्षों को सुना जाकर दिनांक 14.2.08 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुये प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टान को ताफैसला वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी कोटा में पेश होने पर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय को यथावत रखा गया । इस प्रकार दिनांक 14.10.2015 तक उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा बदस्तूर जारी रही । किन्तु दिनांक 14.10.2015 को उपखण्ड अधिकारी कोटा ने उक्त वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज कर दिया जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की ओर उक्त अपील में दिनांक

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

27.10.2015 को दौनों पक्षों को सुनने के पश्चात पुनः अस्थायी निषेधाज्ञा से रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन बेचान नहीं करने बाबत पाबन्द किया, उक्त प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है । किन्तु फिर भी उक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये तथा समस्त स्थगन आदेशों की अवहेलना करते हुये दिनांक 17.12.2009 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 द्वारा 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया तथा उप पंजीयक कोटा ने भी पूर्ण रूप से स्थगन आदेश की अवहेलना की और तहसीलदार लाडपुरा ने षडयन्त्र में शामिलल होकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 240 तस्दीक कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है तथा उक्त विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । जैर अपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.4.2016 को वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुई । दिनांक 20.4.2016 को नामा0 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 22.4.2016 को प्राप्त हुई । इस प्रकार जानकारी की तिथि दिनांक 11.4.2016 से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है तथा दिनांक 26.10.2015 से अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि की देरी कन्डोन किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 240 निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से महावीर प्रसाद बैरवा का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ । किन्तु रेस्पो0 व वकील रेस्पो0 दिनांक 19.11.2009 से अनुपस्थित चल रहे है, तथा दौराने बहस भी रेस्पो0 व वकील रेस्पो0 अनुपस्थित है । वकील अपीलांट उपस्थित । वकील रेस्पोडेन्ट को बहस हेतु काफी मौके दिये जा चुके है, रेस्पो0 व वकील रेस्पो0 को रूक रूक कर आवांजे लगवाई गई, किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ । रेस्पो0 व वकील रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने से वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराया और कथन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सूचना दिये बिना ही गुपचुप तरीके से वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 240 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम कंसुआ तहसील लाडपुरा स्थित खसरा नम्बर 166 रकबा 0.36 हे0 भूमि से रेस्पोडेन्टान का कोई सम्बन्ध नहीं है, त्रुटिपूर्ण तरीके से राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है, वास्तव में वादग्रस्त भूमि पन्ना जी के खाते की भूमि थी जो उनके सवर्गवास के पश्चात उनके पुत्र आनन्दीलाल को प्राप्त हुई, आन्दीलाल जी के दौ पुत्र जिनमें एक अपीलान्ट के पिता प्रभूलाल जी तथा दूसरे पुत्र करणा उर्फ रामकरण जी थे, तथा रामकरण जी को आनन्दीलाल जी ने पांथीबाई पत्नि भंवरलाल निवासी देवली ढिकोली को गोद दे दिया था और उस समय रामकरण जी की मात्र 5 वर्ष की आयु थी तथा पांथीबाई के स्वर्गवास के पश्चात उनकी सम्पत्ति का मालिक बहैसियत गोदपुत्र रामकरण बना । इस प्रकार आनन्दीलाल जी के परिवार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा तथा वादग्रस्त भूमि में उनका कोई स्वत्व नहीं रहा, किन्तु राजस्व कर्मचारियें से सांठ गांठ करके रामकरण ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया और उसके स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ने अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाते हुये

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को विक्रय करदी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2009 पूर्ण रूप से अवैध एवं प्रभावशून्य है, जिससे रेस्पो0 1 की किसी प्रकार का कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि में नहीं बनता है । ऐसी अवस्था में उक्त अवैध विक्रय पत्र. के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया नामान्तकरण पूर्णरूप से अवैध है तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है । उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 14.10.2015 के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत अपील में दिनांक 27.10.2015 को दौनों पक्षों को सुनने के पश्चात स्थगन आदेश जारी करते हुए उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 14.10.2015 की पालना दिनांक 16.11.2015 तक स्थगित रखी जाकर रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन बेचान नहीं करने बाबत पाबन्द किया, उक्त प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है । किन्तु फिर भी उक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये तथा समस्त स्थगन आदेशों की अवहेलना करते हुये दिनांक 17.12.2009 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 द्वारा 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया तथा उप पंजीयक कोटा ने भी पूर्ण रूप से स्थगन आदेश की अवहेलना की और तहसीलदार लाडपुरा ने षडयन्त्र में शामिलल होकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 240 तस्दीक कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है तथा उक्त विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 240 निरस्त फरमाया जावें ।

5. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर भली भांति अवलोकन किया । वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि विवादित भूमि के मूल खातेदार पन्नाजी थे, उनके खाते की भूमि थी जो उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र आनन्दीलाल को प्राप्त हुई, उक्त भूमि आन्दीलाल जी के दौ पुत्र जिनमें एक अपीलान्ट के पिता प्रभूलाल जी तथा दूसरे पुत्र करणा उर्फ रामकरण जी थे, तथा रामकरण जी को आनन्दीलाल जी ने पांथीबाई पत्नि भंवरलाल निवासी देवली ढिकोली को गोद दे दिया था और उस समय रामकरण जी की मात्र 5 वर्ष की आयु थी तथा पांथीबाई के स्वर्गवास के पश्चात उनकी सम्पत्ति का मालिक बहैसियत गोदपुत्र रामकरण बना, इस प्रकार आनन्दीलाल जी के परिवार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा तथा वादग्रस्त भूमि में उनका कोई स्वत्व नहीं रहा। किन्तु हम वकील अपीलांट के इस तथ्य के सम्बन्ध में स्पष्ट करना चाहते है कि करणा उर्फ रामकरण के अन्य के गोद चले जाने से उसका अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते है । ऐसी स्थिति में आनन्दीलाल जी की सम्पत्ति में रामकरण का 1/2 हिस्सा दर्ज होना तथा रामकरण के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पो0 2 व 3 के नाम रामकरण का हिस्सा दर्ज होना स्वाभाविक है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

6. अपीलांट का मुख्य कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 27.10.2015 को दौनों पक्षों को सुनने के पश्चात स्थगन आदेश जारी करते हुए उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 14.10.2015 की पालना दिनांक 16.11.2015 तक स्थगित रखी जाकर रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन बेचान नहीं करने बाबत पाबन्द किया । उक्त नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2009 की पालना में दिनांक 23.10.2015 को पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 26.10.2015 को स्वीकृत किया गया है, ऐसी स्थिति में जिस दिनांक को नामान्तकरण स्वीकृत किया गया उस दिनांक को विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्थगन होना जाहिर नहीं होता है, स्थगन दिनांक 27.10.2015 को जारी किया गया है । अतः हम तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण प्रकिया में कोई दोष नहीं पाते है ।

10. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण सं0 240 ग्राम कंसुआ में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

11. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner